# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-24/2017/टोंक (2017/00033)

1- अशोक कुमार पुत्र प्रेमचन्द जाति ब्राहमण पालीवाल निवासी ग्राम निमोला, तहसील व जिला टोंक

2- लोकेश कुमार पुत्र प्रेमचन्द जाति ब्राहमण पालीवाल निवासी ग्राम निमोला, तहसील व जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र भवानीराम जाति ब्राहमण पालीवाल निवासी ग्राम निमोला, तहसील व जिला टोंक
2. ग्राम पंचायत लाम्बा (निमोला) तहसील व जिला टोंक

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 06.07.20019 अंतर्गत अपील संख्या 02/2008.

उपस्थितः-

1. श्री अजीतसिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री एन0के0 जैन, अभिभाषक रेस्पो01 उपस्थित ।
3. रेस्पो0 सं0 2 अनुपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

## निर्णय

दिनांक :- 10.12.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकरी, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रथम अपील विरुद्ध नामांतकरण संख्या 919 दिनांक 05.05.07 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख0नं0 438, 542, 546, 564, 574, 869, 871, 872, 875, 877, 879, 1321, 1322, 889 किता 14 कुल रकवा 14 वीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम निमोला तहसील टोंक में स्थित की खातेदारी मोहनलाल पि0मु0 रामगोपाल जाति ब्राहमण पालीवाल निवासी के नाम दर्ज थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात उसकी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमियों का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण सं0 919 ग्राम पंचायत लाम्बा (निमोला) द्वारा हिस्सा 1/2 अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0सं0 1 कन्हैयालाल) एवं 1/2 हिस्सा रेस्पो0 सं0 1, 2 (वर्तमान अपी0) के नाम स्वीकार किया गया है जो गलत है क्योंकि मोहनलाल पि0मु0 रामगोपाल के गोद जाने के बाद उसका अपने प्राकृतिक परिवार से कोई संबंध नहीं रहा और विवादित आराजी मोहनलाल को रामगोपाल की विरासत से प्राप्त हुई है। मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 21.04.06 को रूबरू गवाहान एक वसीयत अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0सं0 1 कन्हैयालाल) तहरीर कर पंजीकृत करवा दी थी इसलिए अपीलांट उसकी मृत्यु के दिन से ही विवादित आराजी का तन्हा खातेदार हो चुका है। इस पर अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित कर नामा0सं0 919 दिनांक 05.05.07 ग्राम निमोला खारिज किया जाकर तहसीलदार, टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह दोनों पक्षों को सुनकर पुनः नामा0 की कार्यवाही करें। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की वहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 06.07.2009 तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4- अपीलांट अभिभाषक ने अपनी वहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 आपास में रिश्तेदार होकर एक ही वंश के सदस्य है। अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं0 1 भवानीराम के वंश में जीवित सदस्य है। मृतक मोहन लाल की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 438, 542, 546, 564, 574, 869, 871, 872, 875, 877, 879, 1321, 1322, 889 किता 14 कुल रकवा 14 वीघा 16 विस्वा वाके ग्राम निमोला तहसील टोंक में स्थित है। मोहनलाल के दोहान्त के वाद उसके वंश में जीवित अपीलांटस व रेस्पो0 सं0 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत निमोला ने पूरी वात मालुमात कर सही तथ्यों की जांच कर विधिअनुसार मोहनलाल की आराजीयात उपरोक्त वर्णित ख0नं0 रेस्पो0 सं 1 की मौजूदगी में एवं मजमे आम में अपीलांटस एवं रेस्पो0 नं0 1 को वरावर-वरावर का विरासत का हिस्सतेदार मानते हुए नामा0 तस्दीक कर दिया। xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

5- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस विन्दू सं0 1 में अंकित सजरा का जिक्र करते हुए कथन किया कि अधि0न्याया0 में प्रस्तुत पंचनामा में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, यह स्वीकार है किन्तु पंचनामा में रामगोपाल का दत्तक पुत्र मोहनलाल को नहीं मानकर प्रेमचन्द को माना है। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है इसका अभिलेख में कोई दस्तावेज नहीं है। रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधी0न्याया0 में प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयतनामा की फोटो प्रति पेश की गई है जिसे अधी0न्याया0 को साक्ष्य

Scanned by CamScanner

के रूप नहीं माना जाना चाहिये था। फोटो प्रतियों राजस्व न्यायालय में गाह्य नहीं है। वसीयत में गवाह के हस्ताक्षर के रूप में कन्हैयालाल के पुत्र ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है। ऐसी वसीयत को प्रभावहीन व शून्य माना जाना चाहिये था। अधी0न्याया0 उक्त वसीयत को आधार मानकर आदेश पारित किया है, जो गलत है। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में AIR 2011 MP P-195, RBJ 2004 P-515, RLW 2007 (1) RJ P-443, RRT 2009-10 (Supp) P-61 (SC), RRD 1999 P-98 (HC), 152 (HC), 389 (HC), RRD 2008 P-186 (HC), RLW 2007 Part I RJ P-443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। xx

6- अभिभाषक अपीलांट की उक्त बहस के क्रम में रेस्पोडेंट 1 के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत पंचनामा पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पंचनामा पर कोई दिनांक अंकित की गई है कि पंचनामा कब निष्पादित किया गया है, ऐसी स्थिति में पंचनामा का कानूनन कोई महत्व नहीं है। रेस्पो0 अभि0 ने यह भी कथन किया कि द्वितीय अपील में जो सजरा दिया गया है वह प्रमाणित नहीं है जबकि प्रथम अपील में जो सजरा अंकित किया है, वह स्वीकृत है क्योंकि इस पर पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है और स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रेस्पो0 अभि0 ने यह भी कथन किया कि विवादित आराजी भवानीराम की आराजी रही हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि विवादित आराजी मोहनलाल की आराजी है जो उसे रामगोपाल से प्राप्त होना एवं मोहनलाल का दत्तक पुत्र होना अपील मीमो में स्वयं अपीलांट ने अंकित किया है, जो स्वयं स्वीकृत है। रामगोपाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.04.06 पंजीकृत वसीयत है जिसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अधि0न्याया0 द्वारा प्रकरण दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जांच कर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अभी शेष है जिसमें अपीलांट को भी अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। xx

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय एवं अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत पंचनामा पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पंचनामा पर कोई दिनांक अंकित की गई है कि पंचनामा कब निष्पादित किया गया है, रामगोपाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.04.06 पंजीकृत वसीयत है जिसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विवादित आराजी भवानीराम की आराजी रही हो ऐसा कोई साक्ष्य

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधि0न्याया0 द्वारा प्रकरण दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जांच कर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अभी शेष है। अपीलांटस अभि0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। इसलिए हम अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, टोंक) के निर्णय को निरस्त करना उचित नहीं समझते है। xx

**–:क्रियात्मक आदेशः–**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 24/2017 (2017/00033) बउनवानी अशोक कुमार व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य को खारिज किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 2/2008 बउनवान कन्हैयालाल बनाम अशोक कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2009 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.12.16 20:30:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: